

Registered

प्रेषक

निदेशक उच्चतर शिक्षा,  
हरियाणा, पंचकूला

सेवा में

हरियाणा राज्य में स्थित सभी राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य।

यादी क्रमांक: 02/16-2023 C-III (1)


दिनांक: पंचकूला 12-06-2023

विषय:-

**Deemed promotion** का लाभ प्रदान करने उपरांत पेंशन में संशोधन करने बारे मामला।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयांकित मामले में आपको लिखा जाता है कि राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्राचार्यों को विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 130019/19-2020 प्रशा (1) दिनांक 07.09.2022 के अनुसार deemed promotion का लाभ प्रदान किया गया था और विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 25.04.2023 के अनुसार वेतन निर्धारण की गई थी। इसके अतिरिक्त सहायक/एसोसिएट प्रोफेसरों के पेंशन मामले प्राचार्य स्तर पर ही महा लेखाकार हरियाणा चण्डीगढ़ को भेजे गए थे। अतः आपसे अनुरोध किया जाता है कि विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 25.04.2023 के अनुसार जिस तिथि से deemed promotion का लाभ प्रदान किया गया है उस तिथि से ओर basic pay के अनुसार Revision of pension का केस बनाकर /तैयार करके पेंशन दस्तावेजों के साथ निदेशालय को भेजे ताकि मामले में आगामी कार्यवाही की जा सके।

  
अधीक्षक महावि० III  
कृते निदेशक उच्चतर शिक्षा,  
हरियाणा, पंचकूला।

